न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 3/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पांथू (मृतक)
1./1 जयशंकर पुत्र रामस्वरूप
1/2 संजू पुत्री रामस्वरूप
1/3 मंजू पुत्री रामस्वरूप
1/4 मन्नू पुत्री रामस्वरूप जातिगण गुर्जर निवासीगण शाहाबाद दरवाजा, बारां
2. श्यामलाल पुत्र पांथू (मृतक)
2/1 हेमन्त पुत्र श्यामलाल
2/2 सुनिता पुत्री श्यामलाल
2/3 निशा पुत्री श्यामलाल
2/4 यशोदा पत्नि श्यामलाल जातिगण गुर्जर निवासीगण शाहाबाद दरवाजा, बारां
3. रमेश पुत्र पांथू
4. पप्पू पुत्र पांथू
5. प्रतापबाई बेवा पांथू
6. कान्ती पुत्री पांथू
7. काली पुत्री पांथू जातिगण गुर्जर निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1/1 ता 4)

आदेश दिनांक– 11.09.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 64 रकबा 0.43 है., 65 रकबा 1.17 है. कुल किता 2 रकबा 1.60 है. किस्म माल I वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में खसरा नंबर 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। खसरा नंबर 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब के नवीन ख0नं0 64 रकबा 0.43 है., 65 रकबा 1.17 है. कुल किता 2 रकबा 1.60 है. किस्म माल I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से पांथू पुत्र गोरू जाति गूजर [illegible] के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीगण [illegible] में दर्ज है जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरीत तथा अवैधानिक [illegible] प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1/1 ता 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु जवाब पेश नही किया गया।

3– हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में खसरा नंबर 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तालाब के नवीन ख0नं0 64 रकबा 0.43 है., 65 रकबा 1.17 है. कुल किता 2 रकबा 1.60 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तालाब की किस्म माल I कायम कर अवैधानिक रूप से पांथू पुत्र गोरू कोम गूजर निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी कम 1/1 ता 4 ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति की जानकारी लेकर भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार आवंटित की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा खसरा नंबर 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज है। जिसको पांथू पुत्र गोरू कोम गूजर निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बारां को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 64 रकबा 0.43 है., 65 रकबा 1.17 है. कुल किता 2 रकबा 1.60 है. किस्म माल I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार पांथू पुत्र गोरू कोम गूजर निवासी बारां को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। पांथू पुत्र गोरू कोम गूजर निवासी बारां को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.43 है., 65 रकबा 1.17 है. कुल किता 2 रकबा 1.60 है. किस्म माल I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब से बना है जिसका पांथू पुत्र गोरू कोम गूजर निवासी बारां को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 11.09.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:27 IST
Reason: SelfAttested